राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(50)ग्राविवि –5/RUDSICO /2019–20 जयपुर, दिनांक 27 सितम्बर, 2019

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, बूंदी।

विषयः– राज्य के Notified Statutory Town की परिधि क्षेत्र में शामिल ग्राम पंचायतों के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी (PMAY-U) के अंतर्गत लाभान्वित किये जाने के क्रम में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक 389 दिनांक 20.09.19

संदर्भः– विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 13.06.19, 13.08.19 एवं बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 27.06.19।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों द्वारा राज्य के 17 शहरों की Notified Statutory Town की परिधि क्षेत्र में शामिल ग्राम पंचायतों के प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण की स्थायी वरीयता सूची में शामिल लाभार्थियों एंव अन्य पात्र लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना–शहरी (PMAY-U) के अंतर्गत लाभ दिये जाने के संबंध में जिलो को विस्तृत दिशा–निर्देश प्रदान किये गये है।

उक्त संबंध में प्रासांगिक पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि Notified Statutory Town की परिधि क्षेत्र में शामिल ग्राम पंचायतों की आपके विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूची में ग्राम रोटेदा, ग्राम पंचायत रोटेदा, पंचायत समिति केशवरायपाटन, जिला बूंदी को यूआईटी कोटा में दर्शाया गया है, जबकि ग्राम पंचायत रोटेदा क्षेत्र का ग्राम रोटेदा यूआईटी कोटा की सीमा में नहीं आता है व यूआईटी कोटा की सीमा से काफी दूर है।

अतः इस संबंध पुनः निर्देश है कि Notified Statutory Town की परिधि क्षेत्र में शामिल ऐसे Notified ग्राम जो उस शहर के Notified परिधि से लगा हुआ/मिला हुआ/आस पास भी नहीं है, को प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अंतर्गत ही लक्ष्य आवंटित कर नियमानुसार स्वीकृति जारी की जावें।

(कैलाश चन्द मीना)
विशिष्ट शासन सचिव, ग्राविं

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पराविं।
2. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रावि ।
3. जिला कलक्टर, जिला समस्त।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त (बूंदी को छोडकर)।

अधीक्षण अभियंता, ग्रावि

C:\Users\Parag s\Desktop\Nahar Sl\MS Word\Others.docx